राजस्थान सरकार

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवम् संशोधित नियम 2012

सामुदायिक वन अधिकार दावा कुलक

ग्राम

तहसील

जिला

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त

जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा प्रकाशित

अनुक्रमणिका

क.सं.	प्रपत्र का विवरण	किसके द्वारा तैयार किया जायेगा	पृष्ठ सं.
1	मुख पृष्ठ		1
2	अनुक्रमणिका		2
3	दावा प्रारूप (ख)	दावेदार	3
4	दावा प्रारूप (ग)	दावेदार	4–6
5	दावो के सत्यापन की कार्यवाही	वन अधिकार समिति	7–8
6	पटवारी की रिपोर्ट	हल्का पटवारी	9
7	नक्शा ट्रेंस	हल्का पटवारी	10
8	वन विभाग प्रतिनिधी की रिपोर्ट	वनपाल / वन रक्षक	11
9	वन अधिकार समिति अभिस्वीकृति	सचिव/अध्यक्ष समिति	12
10	ग्रामसभा का संकल्प	सचिव/अध्यक्ष ग्राम सभा	13–14
11	उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही	उपखण्ड अधिकारी	15
12	जिला स्तरीय समिति की कार्यवाही	परियोजना अधिकारी (जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग)	16–18

जनजातिय कार्य मंत्रालय

प्रारूप–ख

सामुदायिक अधिकारो के लिये दावा प्रारूप

(अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) नियम 2008, का नियम 11 (1) क और 11 (4) देंखे)

1. दावेदार (रो)का/के नाम .....
   (क) एफडीएसटी समुदाय हॉ / नहीं
   (ख) ओटीएफडी समुदाय हॉ / नहीं
2. ग्राम .....
3. ग्राम पंचायत .....
4. तहसील / तालुमा .....
5. जिला .....

प्रयोग किये गये सामुदायिक अधिकारो का स्वरूप :–

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तारण, यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देंखे)

2. गोण उत्पादों पर अधिकार यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देंखे)

3. सामुदायिक अधिकार

   (क) उपयोग या प्रात्रता (मछली, जलाशय) यदि कोई हो

   (ख) चरने हेतु यदि कोई हो

   (ग) पारंपरिक संसाधनो तक यायावरों और पशुपालको की पहुंच यदि कोई हो

   (अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देंखे)

4. पीटीजी व कृषि पूर्व समुदायों के लिये प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देंखे)

5. जैव व विविधता तक बौद्विक सम्पदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहूँच का अधिकार यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देंखे)

6. अन्य और पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देंखे)

7. समर्थन में साक्ष्य (नियम 13 देंखे)

8. अन्य कोई सूचना

दावेदार (रो) के
हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

प्रारूप–ख के अतिरिक्त निम्न लिखित **प्रारूप–ग भी भरा जाएगा।**

प्रारूप–ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिये दावा प्रारूप

(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) ओर नियम 11(1) और (4क) देखिये)

1. ग्राम/ग्रामसभा –
2. ग्राम पंचायत –
3. तहसील –
4. जिला –

5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित **अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें**)

दावा करने के लिये जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम इस ग्राम सभा के अधोहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते है कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारो की मान्यता का दावा कर रहे है।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढिजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिये समुदाय पारंपरिक पहूँच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरूज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे है, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का **मानचित्र संलग्न करें।** कृपया ध्यान दे कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है।)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो और यदि ज्ञात हो :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

अ.

ब.

स.

(इसमें किन्ही अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उतरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची – नियम 13 के अनुसार।

1. बुजुर्ग साक्ष्य
2. खाता नकल
3. ट्रेसमेप
4. नजरी नक्शा
5.
6.
7.
8.

दावेदारों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान : (संलग्न सूची)

आवश्यक प्रारूप – ग के साथ संलग्न करे

दिनांक ———————— ग्राम ———————————— पंचायत ——————————

तहसील ———————— जिला ————————————

विषय – सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों हेतु आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर –

कमांक	नाम सदस्य/पिता या पति का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

वन अधिकार समिति द्वारा दावों का सत्यापन की कार्यवाही

(नियम 12 (1) देंखे)

दिनांकः ———————— को वन अधिकार समिति – ग्राम ———————————— ग्राम पंचायत ———————— तहसील ———————————— जिला ———————————— द्वारा अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) नियम 2008 के नियम 12 (1) में प्रदत शक्तियों के अनुसरण में सामुदायिक वन अधिकार के प्रस्तुत दावें से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरीक्षण किया और मौके पर स्थिति निम्नानुसार पाई गई –

1. लघु वन उपज संग्रहण एवं विपणन्।
2. घास का संग्रहण।
3. सुखी गिरी पडी लकड़ी का संग्रहण।
4. वृक्षारोपण क्षेत्र को छोडकर चराई।
5. जल संपति एवं स्त्रोतो का उपयोग।
6. पुजा स्थल, धर्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु उपयोग।
7. शमशान स्थल का उपयोग।
8. सार्वजनिक रास्ते एवं पगडण्डी का उपयोग।
9. वनो का संरक्षण,संवर्द्वन, पुर्नःनिर्माण, विकास एवं व्यवस्थापन करना।
10. जैव विविधता, बौद्विक सम्पदा व पारंपरिक ज्ञान का उपयोग।
11. अन्य पारंपरिक उपयोग ।

2. साक्ष्य जो संलग्न है :
    1. गॉव के बुजुर्ग का साक्ष्य।
    2. हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड अनुसार वन भूमि की खाता नकल, ट्रेसमेप।

3. उपभोगित वन भूमि एवं पड़ौसी गांव का नजरी नक्शा, माप

उत्तर

पश्चिम पूर्व

दक्षिण

4. निष्कर्ष :

प्रस्तुत साक्ष्य एवं मौका निरीक्षण के विवेचन के आधार पर ग्रामवासी परंपरागत रूप से उक्त वन भूमि पर उल्लेखित वन अधिकारों का उपयोग कर रहे है।

वन अधिकार समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर :–

हल्का पटवारी की रिपोर्ट

(नियम 12 (4) देखें)

ग्राम ———————————— ग्राम पंचायत ————————————

तहसील ———————————— जिला ————————————

में वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक ———— को दावेदार ग्राम ————————————

के दावे से संबंधित स्थल (वन क्षेत्र) का निरिक्षण किया गया उसका राजस्व अभिलेखो के अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
योग –				

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम ————————————

तहसील ————————————

जिला ————————————

नोट –अधिभोंग की वन भूमि को नक्शा ट्रेंस पर लाल स्याही से दर्शाते हुए संलग्न करें।

नक्शा ट्रेस

(नक्शा ट्रेस इस पेज पर चिपकाएं)

(नियम 12 (4) देखें)

आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम ----------

जिसमें दावेदार समुदाय ---------- ग्राम ----------

द्वारा अधिभोग मे ली गई वन भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हस्ताक्षर पटवारी

ग्राम ----------

तहसील ----------

जिला ----------

वन विभाग प्रतिनिधि की रिपोर्ट

(नियम 12 (4) देखें)

ग्राम ———————————— ग्राम पंचायत ————————————

तहसील ———————————— जिला ————————————

द्वारा अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. वनखण्ड का नाम ————————————
2. कम्पार्टमेंट सं. ————————————
3. अधिभोग मे ली जा रही वन भूमि का क्षेत्रफल ————————
4. नजरी नक्शा ————————————

5. नक्शो में दर्शाये गये बिन्दूओं के निर्देशांक :

बिन्दु	अक्षांश (उतर)	देशांतर (पूर्व)
अ.	उ.	पू.
ब.	उ.	पू.
स.	उ.	पू.
द.	उ.	पू.
य	उ.	पू.

हस्ताक्षर

वनपाल / वनरक्षक

वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति

(नियम 11 (3) देखें)

दिनांकः ----------

ग्राम ---------- ग्राम पंचायत ----------

तहसील ---------- जिला ----------

द्वारा अधिभोग में ली जा रही वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
योग –				

जिस पर वन अधिकार दिये जाने हेतु वन अधिकार समिति की अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम)
अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संषोधित नियम 2012

ग्रामसभा के निर्णय व सामूहिक वन अधिकार बाबत प्रस्ताव कमांक ....

"सामुहिक वन अधिकार " दावे के संदर्भ में आयोजित ग्रामसभा आज दिनांक .... को अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 व 2008 में स्थापित वन अधिकार समिति ग्राम ....की नियम व शर्तो के अनुसार ग्राम .... तहसील .... जिला .... में "सामुहिक वन अधिकार" के दावे के संदर्भ में की गई अनुषंसा पर ग्रामसभा के प्रस्ताव /निर्णय को पारित करने हेतु सभा आयोजित की गई। इस सभा में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पन्न हुई :-

1. सर्व प्रथम ग्रामसभा हेतु आवष्यक सदस्यों की (कोरम) उपस्थिति की पुष्टि की गई। इस सभा में कुल .... ग्रामीणों मे से आज .... संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। जिसमे से कोरम की पूर्ति होती है।

2. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा, निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त दावे के संदर्भ में ग्राम सभा को निर्णय लेने में उक्त सुविधा हो इस उद्वेष्य से सर्व प्रथम वन अधिकार समिति के सचिव .... द्वारा सभा के प्रारंभ में ही "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिनियम) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संषोधित नियम 2012 की विस्तृत जानकारी समस्त उपस्थित सदस्यों को दी गई।

4. वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये हुये "सामुहिक वन अधिकार" के दावो की जांच उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 11(2)(पांच) में उल्लेखित नियमानुसार की गई। इस संबंध में सभी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर तथा प्रस्तुत दावे की सभी चरणो में जांच कर पारित प्रस्ताव/निर्णय निम्नानुसार है:-

(1) प्रस्तुत प्रस्ताव कमांक 1 निर्णय कमांक ....

(11) दावे का स्वरूप :–

अधिकार का प्रकार	कम्पार्टमेंट / सर्वे नं.	क्षेत्र	प्रमाण (मात्रा)
• विस्तार जैसे अधिकार 3(1)(ख) • लघु वनोत्पादन का अधिकार 3(1)(ग) • जन सम्पति • चराई (पूर्ण विवरण सहित) • जैविक विविधता, बौद्विक सम्पति व पारंपरिक ज्ञान। • धार्मिक स्थल। • अन्य पारंपरिक वन अधिकार। • निरंतर उपयोग में आने वाले पारंपरिक वन स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन, पुनःर्निर्माण व व्यवस्थापन्न करने का अधिकार 3(1)(स)	——— ग्राम के विस्तार पत्रक में उल्लेखित समस्त सर्वे नं.व वन मानचित्र के अनुसार समस्त संबंधित कम्पार्टमेंट नं.	———— एकड़ ———— हेक्टेयर	जितनी मात्रा में उपलब्ध है। जितना उपयोग में आता है उतना।
• घुमन्तु आदिवासी ——— • आदिम जनजाति ————	———लागू ———	——	——

अ. उपरोक्त ग्रामसभा द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

ब. दावे बाबत् परीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसे ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

ग्रामसभा का निर्णय :–

दावेदारो के समुदाय को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लेखित "वन अधिकार" प्रदान करने का निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया जाता है। प्रस्ताव अग्रीम कार्यवाही हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाता है।

सचिव मय मुहर

अध्यक्ष, मय मुहर

उपखण्ड स्तरीय समिति की कार्यवाही

(नियम 6 एवं 14 देंखे)

अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत अधिकारो/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवम् 14 में विनिर्दिष्ट प्रकियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांकः ———————— को आयोजित की गई। बैठक में ग्रामसभा द्वारा वन भूमि पर वन अधिकार के अभियोग के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि दावेदार ————————————————————— ग्राम ———————— तहसील———————— जिला ————————

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	खसरा नं. का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग की वन भूमि का क्षेत्रफल	अधिभोग का प्रकार
1	2	3	4	5
योग –				

अतः समिति सर्वसम्मति से उपरोक्त वन भूमि पर उपरोक्त वर्णित दावेदार समुदाय को वन अधिकार दिये जाने की अनुशंषा करती है।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी	वन विभाग का भार साधक अधिकारी	विकास अधिकारी
मनोनीत सदस्य	मनोनीत सदस्य	मनोनीत सदस्य

उपाबंध 3
{ नियम 8 (6 ज) देखें}
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक

1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम :
   (उपाबंध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्राम सभा :
3. ग्राम पंचायत :
4. तहसील/तालुका :
5. जिला :
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
7. सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :

(क) गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है स्वामित्व संग्रह करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग और व्ययन का अधिकार रहा है;

(ख) समुदायों की मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, का अधिकार,

(ग) चरागाह (स्थापित और घुम्मकड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्पारिक मौसमी संसाधनो तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार;

(घ) ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसकी वे सतत् उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहें हैं; का अधिकार,

(ङ) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार;

(च) वन भूमि पर स्थित पूजा स्थलों पर पारंपरिक रूप से की जा रही पूजा अर्चना करने का अधिकार,

(छ) सार्वजनिक रास्तों का अधिकार,

(ज) वन क्षेत्र में पूर्व से बने शमशान स्थलों का अधिकार

(झ) वृक्षारोपण क्षेत्र से घास संग्रहण का अधिकार,

(ञ) सुखी गिरी पड़ी लकड़ी के संग्रहण का अधिकार,

1. अधिग्रहिता के कर्तव्य : (धारा 5. के अनुसार)
   किसी वन अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं भी निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं,–
   (क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा करना;
   (ख) यह सुनिश्चित करना कि लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है;
   (ग) यह सुनिश्चित करना कि जंगलो में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी, जिनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत जो वन, वन्यजीव एवं जैव विधिता के प्रतिकुल हो, को रोका हों।
   (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिये, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकुल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की पालना कराना।

2. निम्नलिखित के साथ सीमाओं के विवरण :–
   रूढ़िजन्य सीमा और/या खसरा/कंपार्टमेंट सं,
   सहित प्रमुख सीमा चिन्ह

सामुदायिक वन अधिकारों के धारक का नाम :

हम, अधोहस्ताक्षरी,.....(राज्य का नाम) सरकार के लिए और उसी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों के हक में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

उप वन संरक्षक

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी

जिला कलक्टर

उपाबंध– 4
सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक
{ नियम 8 (i) देखें}

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुका :
4. जिला :
5. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : अनुसूचित जनजाति समुदाय/अन्य परंपरागत वन निवासी समुदाय/दोनों :
6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं, तक रूढ़िजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करने या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्दिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रुप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहें हैं।

हम, अद्योहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से उपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोर्द्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने–अपने हस्ताक्षर करते हैं।

(उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलक्टर)